सेवा में,

माननीय कलेक्टर महोदया,

जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश

विषयः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शासकीय विद्यालयों की जमीनी हकीकत, शैक्षणिक सुविधाओं की वास्तविक उपलब्धता एवं ग्रामीण विद्यार्थियों को सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में विधिक एवं प्रशासनिक सहयोग हेतु ज्ञापन।

महोदया,

सविनय निवेदन है कि CJP द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शासकीय विद्यालयों की वास्तविक स्थिति के अध्ययन एवं मूल्यांकन हेतु एक जनहितकारी पहल संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत प्रदत्त मूलभूत शैक्षणिक सुविधाएँ वास्तविक रूप से लाभार्थी विद्यार्थियों तक पहुँच रही हैं अथवा नहीं।

इस संदर्भ में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों की जमीनी स्थिति का एक निष्पक्ष, तथ्यात्मक एवं गैर-हस्तक्षेपकारी मूल्यांकन किया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएँ विधिक प्रावधानों एवं शासन के मानकों के अनुरूप हैं या नहीं।

अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक अवलोकन प्रस्तावित है—

1. विद्यालय भवनों की संरचनात्मक स्थिति एवं विद्यार्थियों हेतु सुरक्षित कक्षों की उपलब्धता।
2. पेयजल की स्वच्छता एवं उसकी सतत उपलब्धता की स्थिति।
3. बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक शौचालयों की उपलब्धता एवं उनकी कार्यशीलता।
4. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकें, गणवेश, छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभों का समयबद्ध वितरण।
5. शिक्षकों की पर्याप्त संख्या एवं शिक्षण कार्य की नियमितता।
6. अध्ययन हेतु आवश्यक मूलभूत संसाधनों जैसे डेस्क, ब्लैकबोर्ड एवं शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता।
7. विद्युत आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, पंखे, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अन्य तकनीकी/डिजिटल संसाधनों की स्थिति।
8. विद्यालय परिसर की स्वच्छता, सुरक्षा एवं विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण।
9. शिक्षा की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से प्राप्त हो रही शैक्षणिक सेवाओं की स्थिति।
10. अन्य कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ जो विद्यार्थियों के शिक्षा के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक हों।

------------02

इसके अतिरिक्त, यह भी निवेदन है कि CJP द्वारा ग्रामीण विद्यार्थियों के हित में शैक्षणिक सहयोग स्वरूप आवश्यक सामग्री जैसे बैग, कॉपी, पुस्तकें एवं अन्य शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त पहल का उद्देश्य किसी भी शासकीय कर्मचारी, शिक्षक अथवा प्रशासनिक अधिकारी की व्यक्तिगत आलोचना करना नहीं है, अपितु यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रदत सुविधाओं का प्रभावी एवं वास्तविक क्रियान्वयन हो तथा प्रशासन के सहयोग से कमियों का विधिसम्मत निराकरण किया जा सके।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि CJP के अधिकृत प्रतिनिधियों को ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों में प्रवेश कर केवल सार्वजनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं का अवलोकन करने तथा संबंधित प्रधानाध्यापक/शिक्षकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक अनुमति एवं समन्वय प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही, यह भी अनुरोध है कि इस प्रक्रिया हेतु एक उपयुक्त प्रशासनिक SOP/प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाए, जिससे विद्यालयों के शैक्षणिक कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो तथा संपूर्ण प्रक्रिया विधिक एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके।

सर्वेक्षण के उपरांत प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर CJP द्वारा एक तथ्यात्मक एवं विद्यालयवार रिपोर्ट प्रशासन को प्रस्तुत की जाएगी, जिससे आवश्यकतानुसार सुधारात्मक एवं विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

हम आशा करते हैं कि जिला प्रशासन इस पहल को शिक्षा के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के हित में एक सकारात्मक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में स्वीकार करेगा तथा आवश्यक प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगा।

अतः निवेदन है कि उपर्युक्त विषय पर आवश्यक प्रशासनिक अनुमति एवं मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें।

भवदीय,

CJP — ग्रामीण शैक्षणिक सहयोग एवं मूल्यांकन पहल
जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश

नाम: अनिकेत शिवहरे, अभिषेक गुप्ता, हर्षबर्धन राजपूत

मोबाइल: 8269601739 7240867092

दिनांक: 18 /08/2026